

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-06-08.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 425]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 16 अगस्त 2010—श्रावण 25, शक 1932

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 16 अगस्त 2010

क्र. एफ. ए-3-14-2010-1-पांच(71).—मध्यप्रदेश वेट नियम, 2006 के नियम 75 के उप नियम (2-क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, यह उपबन्ध करती है कि किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी को, जो इलैक्ट्रॉनिक रीति में, प्ररूप 49 प्राप्त करने का विकल्प लेता है, प्ररूप 49 में सम्यक् रूप से भरी हुई घोषणा, इलैक्ट्रॉनिक रीति में, विभाग की अधिकृत वेब पोर्टल (www.mptax.net/www.mptax.gov.in) के माध्यम से, वेब पोर्टल में दिए गए अनुदेशों के अनुसार जारी की जाएगी.

2. ऐसा व्यापारी जो इलैक्ट्रॉनिक रीति में प्ररूप 49 प्राप्त करने का विकल्प लेता है, साधारणतया किसी अन्य रीति में प्ररूप 49 जारी करवाने का हकदार नहीं होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आर. के. यादव, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 16 अगस्त 2010

क्र. एफ. ए-3-14-2010-1-पांच-(71).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ. ए-3-14-2010-1-पांच-(71), दिनांक 16 अगस्त 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आर. के. यादव, अपर सचिव.

Bhopal, the 16th August, 2010

No. F-A-3-14-2010-1-V-(71).— In exercise of the powers conferred by sub-rule (2-A) of rule 75 of the Madhya Pradesh Vat Rules, 2006, the State Government, hereby, provides that a registered dealer who opts to receive Form 49 electronically, shall be issued a declaration in Form 49 duly filled electronically through the official web portal of the department (www.mptax.net/www.mptax.gov.in) in accordance with the instructions given in the web portal.

2. The dealer who opts to receive Form 49 electronically, shall not ordinarily be entitled to get Form 49 issued in any other manner.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. K. YADAV, Addl. Secy.